





Indian Penal Code, 1860 – contd.



171 H-Illegal payments in connection with an election

किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा किसी उम्मीदवार के लिए उसकी लिखित अनुमति के बिना किया गया व्यय अवैध माना जाएगा चाहे वह व्यय किसी सार्वजनिक बैठक, विज्ञापन, प्रकाशन या किसी अन्य तरीके से हो।

171I-Failure to keep election accounts

यदि उम्मीदवार/उसका चुनाव एजेंट ई0सी0आई द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अपने चुनाव व्यय का लेखा जोखा नहीं रखता है

Punishment for not maintaining accounts

500 तक का जुर्माना